पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3077 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक 22/09/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10.09.2010 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

01	डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
02	प्रो.(श्रीमती) प्रमिला सिंह	—	सदस्य
03	प्रो. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
04.	प्रो. आर.पी. दास		सदस्य
05.	प्रो. ए.के. पति		सदस्य
06	प्रो. विभूति राय	—	सदस्य
07	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह		सदस्य
08	डॉ. अजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
09.	डॉ. एस.के. [illegible]		सदस्य
10.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	—	सदस्य
11	श्री देवजी भाई पटेल	—	सदस्य
12	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	—	सदस्य
13.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	—	सदस्य
14.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 07.08.2010 एवं आपातिक बैठक दिनांक 20.08.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.08.2010 एवं आपातिक बैठक दिनांक 20.08.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई। इसी के तहत यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य इसी सत्र में पूर्ण की जावे, जिसके लिए रु. 2.00 लाख बजट स्वीकृति प्रदान की गई।

02. विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 28.08.2010 एवं स्थगित बैठक 06.09.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 28.08.2010 एवं स्थगित बैठक दिनांक 06.09.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। विद्यापरिषद की इस बैठक में अध्यादेश–4 के संबंध में की गई अनुशंसा एवं अध्यादेश–4 की संशोधित प्रारूप एवं रेगुलेशन का भी अनुमोदन किया गया इसके साथ अध्यादेश 4 से संबंधित रेग्यूलेशन के संबंध में कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. जी.बी. गुप्ता द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि सभी शिक्षकों को कार्य विभाजन में उचित अवसर दिया जाए तथा तदानुसार उनके कार्यों का मूल्यांकन समानता के आधार पर हो सके।

03. ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. शलभ कुमार तिवारी के स्थान पर किसी अन्य एक सदस्य की नियुक्ति किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : ग्रंथालय समिति में डॉ.अंजली कुमार शुक्ला को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया।

04. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F. 10-1.2009(PS) February 2010 में गेस्ट/पार्ट टाईम टीचर के लिए निर्धारित मानदेय देने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र कमांक F-10-1.2009(PS) February 2010 में गेस्ट/पार्ट टाईम टीचर के लिए निर्धारित मानदेय पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि अंशकालीन शिक्षकों को अधिकतम राशि रु. 10,000/-- का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

01. श्रीमती भावना पर्वत, तकनीकी सहायक, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के अर्जित अवकाश के संबंध में विचार करना।

निर्णय : श्रीमती भावना पर्वत, तकनीकी सहायक, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को परिनियम--31 के पार्ट 4 सी के अनुसार अवकाश स्वीकृति प्रदान की गई।

02. फार्मेसी विस्तार भवन के (6th Running Bill) देयक भुगतान हेतु स्वीकृती प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : फार्मेसी विस्तार भवन के लिए निर्धारित अनुबंध राशि रु. 28,89,255/-- के अतिरिक्त कुल राशि रु. 2,28,321/-- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

03. विश्वविद्यालय विनियम कमांक 91 के अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव 3 वर्ष को शिथिल करने के संबंध में।

निर्णय : विश्वविद्यालय विनियम कमांक 91 के अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव 3 वर्ष को शिथिल करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि उच्च पद के रिक्त पद के विरूद्ध निम्न पद के कर्मचारियों से आवश्यकतानुसार उच्च पद का कार्य लिया जावे तथा उन्हें नियमानुसार भत्ता प्रदान की जाय।

04. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह एवं सामुदायिक भवन के आवंटन एवं निर्धारित किराया के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : **विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया है --**

क्र.		बाह्य व्यक्तियों के लिए	विश्वविद्यालय से संबंधित व्यक्तियों के लिए	अमानत राशि
1	प्रेक्षागृह (आंतरिक)	रु. 40,000/	रु. 10,000/--	रु. 5000/-
2	प्रेक्षागृह (बाह्य लॉन)	रु. 30,000/-	रु. 5,000/-	रु. 5000/

इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रेक्षागृह आंतरिक का उपयोग केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही किया जावे तथा किसी भी स्थिति में शादी ब्याह हेतु आवंटित नहीं की जावे।

प्रेक्षागृह बाह्य लॉन का उपयोग केवल विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पति/पत्नी एवं ब्लड रिलेशन के लिए ही आवंटन किया जावे। अन्य बाहरी व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में आवंटन नहीं किया जावे।

सामुदायिक भवन का किराया रु. 10,000/- तथा सफाई एवं बिजली के लिए रु. 1000/-- अतिरिक्त निर्धारित किया गया। इसके साथ--साथ यह भी निर्णय लिया गया कि सामुदायिक भवन का आवंटन केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों के ब्लड रिलेशन के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य बाहरी व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में आवंटन नहीं किया जावे। कुलपति की अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित दर से आधी दर पर आवंटन किया जावे। परंतु सफाई एवं बिजली व्यवस्था के लिए अतिरिक्त रु. 1000/-- देना होगा।

अध्यक्ष की अनुमति से

01. सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज, कापा, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 27.08.2010 में उल्लेखित पैनल स.क.1. फॉदर डॉ. जॉन जेवियर, स.क. 2. डॉ. ए.के.गुप्ता के नामों की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

02. आर.के.एस. महाविद्यालय तिल्दा--नेवरा के प्राचार्य पद हेतु दिनांक 03.09.2010 को आयोजित चयन समिति में किसी भी आवेदक को उपयुक्त नहीं पाया गया एवं पुनः विज्ञापन जारी करने के लिए की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

03. विश्वविद्यालय विनियम कमांक 108 कंडिका भाग--4 कय एवं विकय नियम में सुझाये गए संशोधन को मान्य करते हुए अनुमोदन किया गया। इसे संबंधित विनियम में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।

04. कर्मचारी संघ द्वारा कार्यपरिषद सदस्यों को दिए गए पत्र क्रमांक 62 दिनांक 10.09.2010 के संबंध में प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

01. छठवें वेतनमान के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शासन को पत्र लिखकर सक्षम स्वीकृति चाही गई है। जैसे ही शासन से स्वीकृति प्राप्त होती है, प्रकरण पर कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर उस पर हुए निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

02. उच्च पदों के लिए परिनियम 91 के अनुसार पदोन्नति की पात्रता नहीं होने पर उच्च पद के रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार निम्न पद पर कार्यरत कर्मचारियों से उच्च पद के अनुरूप कार्य कराया जावे तथा इन्हें नियमानुसार अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जावे।

03. युक्तियुक्त संगत आवश्यकतानुसार प्रशासन द्वारा कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

04. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को स्वीकृति हेतु पत्र भेजी जावे।

05. पूर्व वर्ष की भाँति विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षक/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु ट्यूटशन फीस की छूट होगी।

06. चिकित्सा भत्ता रू. 350/– से वृद्धि कर रू. 500/– प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

07. अग्रिम राशि वसूली, समायोजन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर कार्यपरिषद् के आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

08. संबंधित प्रकरण के संबंध में उच्च शिक्षा संचालनालय को पत्र भेजकर निर्देश प्राप्त किया जाय।

09. पूर्व पदाधिकारियों को प्रदान किये गये अग्रिम की वसूली शीघ्रातिशीघ्र वित्त विभाग के माध्यम से की जावे।

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राशि प्राप्त होने पर क्वार्टर निर्माण किया जावेगा।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. 2078 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक 22 /09/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)